

फार्म “क”

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.स.	विवरण	कियान्वयन
1.	परियोजना विवरण :- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु० 29.40 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुशल /अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	0.147 है० वन भूमि
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नहीं
	क)परिवारों की संख्या	शून्य
	ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग)पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार /उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के दस्ताक्षर
नाम (



मोहर

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्रति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)